

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2017-18/ 3407 दिनांक:- 23/03/2018
निमित्त,

अधिशायी अभियंता (टी एण्ड सी)
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
अजमेर।

विषय:- Regarding Submission of hardcopy of proposal No. FP/RJ/ TRANS/
29091/2017 for 220 K/V D/C Ajmer-Bherunda Line.

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा ईडीसी दिनांक
06.03.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 06.03.2018 को ईडीसी जारी कर पालना रिपोर्ट चाहे जाने पर आप द्वारा ईडीसी की पालना रिपोर्ट ऑनलाईन वन एवं पर्यावरण की वेबसाईट OSMFCP पर दिनांक 21.03.2018 को अपलोड तो कर दी गई हैं लेकिन संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे ईडीसी की शर्त संख्या 12 की पालना सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। अतः चाहे गये दस्तावेज अविलम्ब भिजवावे ताकि पूर्ण पालना रिपोर्ट उच्च कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा सकें।

भवदीय,

(अजय चितौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक
अजमेर